न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–37/2020 (2020/00111) वादपत्र

अनवान

1. नारायणसिंह आत्मज केसरसिंह राजपूत निवासी बागड़, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुमेरसिंह मुतबन्ना भैरूसिंह राजपूत निवासी बागड़, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. भोपालसिंह मुतबन्ना माधवसिंह राजपूत निवासी बागड़, तहसील रायपुर **मृतक नाम डिलीट**
2. भगवतसिंह आत्मज गोवर्धनसिंह राजपूत निवासी बागड़, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भोपालसिंह आत्मज गोवर्धनसिंह राजपूत निवासी बागड़, तहसील रायपुर मृतक के बजाय

3/1. बेबीकंवर पिता गोर्वधनसिंह राजपूत निवासी बागड़, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4. स्वरूपसिंह आत्मज गोवर्धनसिंह राजपूत निवासी बागड़, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. हरिश टेलर – **अधिवक्ता वादीगण**
2. महेन्द्रसिंह – **अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांकः–17.05.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बागड़ पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 737 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 738 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 739 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 740 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 741 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 742 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 743 रकबा 0.48 है0, आराजी संख्या 750 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 751 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 752 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 753 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 755 रकबा 0.04 है0 गै.मु.चाह, आराजी संख्या 757 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 758 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 759 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 760 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 820 रकबा 5.75 है0, आराजी संख्या 834 रकबा 1.34 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 10.29 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 86 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी साथ प्रस्तुत की है। वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमियों में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाती रूप से दर्ज होने से तथा हिस्सा अलग से निर्धारित नही होने से वादीगण को अपने हिस्से का विकास [illegible] कर कृषि उपयोग उपभोग हेतु भूमि सुधार करने में तथा लगान जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि जरिये मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन कराया जाकर वादीगण का कलम संख्या 1 में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested

आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा यानि वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा निहित है जिसका अलग स्वंतत्र खाता कायम किये जाने की विभाजन की अज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 13.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 मृतक जिसके वारीस रेकार्ड पर होने पर नाम डिलिट किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा जवाब व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3, 4 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने कर निर्णय एवं प्रतिवादी संख्या 5, 6 फॉरमल पक्षकार है जिनसे कोई दाद नही चाही गई है।

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर जवाब व काउन्टर क्लेम में अंकन किया कि चरण संख्या एक में वर्णित उक्त आराजीयात का अवस्थित होना स्वीकार है। जिसका आपसी विभाजन मौके पर हो चुका है। तथा मौके पर अपने—अपने हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादीगण 1 से 4 काबिज चले आ रहे है तथा विभाजन की लिखापढी दिनांक 6/03/1984 यादास्त ईकरार बाही में लिपीबद्ध किया है। जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 काबिज चले आ रहे है जिससे वादीगण के पुर्वाधिकारी व भेरू सिंह, देवी सिंह, गोर्वधन सिंह, नारायण सिंह के हस्ताक्षर है जिससे वादीगण भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 115 से स्टोप्ड है का वादीगण व प्रतिवादीगण अलग अलग अपने हिस्से पर काबिज चले आ रहे है। वादीगण ने मनमकसूद तरिके से उक्त सजरा अंकित किया है, जबकि गोर्वधन सिंह जी पुत्री बेबी कंवर को सजरे नहीं अंकित नहीं किया गया है, व नारायण सिंह जी पुत्री नीमा कंवर को भी अंकित नही किया गया है भोपाल सिंह जी का निधन हो गया जिससे द्वितीय श्रेणी में प्रतिवादीगण ही वारीस है तथा बेबी कंवर भी वारीस है। जिनको भी अंकित नही किया है। वादीगण व प्रतिवादी के पूर्वजों के समय आपसी विभाजन आज से करीब 36 वर्षो पुर्व हो चुका है, तथा जिसकी विधीवत लिखापढी अपने बाहीयों में करा दी गई, उक्त विभाजन ईकरार से अलग—अलग काबिज चले आ रहे है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में शामिल दर्ज चला होने से वादीगण ने उक्त झूठे तथ्य अंकित किया है जबकि मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी विभाजन हो चुका है, व अलग काबिज चले आ रहे है। प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से कि भूमि पर काफी धन व श्रम खर्च करके काबिल काश्त बनाया है, मिट्टी भी भराई लेकिन रेकार्ड में शामिल रह जाने से वादीगण ने झूठे अभिवचनों से उक्त वाद पेश किया है। वादीगण ने झूठे तथ्य अंकित किये हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी विभाजन हो चुका है इसका विधिवत विभाजन ईकरार अपनी बाहीयों, मे समाज के मोतबीरो के मध्य लिखा गया है, वादीगण अपने हिस्से पर काबिज है व प्रतिवादीगण / उतरदाता अपने—अपने हिस्से पर काबिज चले रहे है। पूर्व हुऐ विभाजन ईकरार में वादीगण व प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर है जिससे वादीगण पांबन्ध है, प्रतिवादीगण ने [illegible] श्रम व लागत लगाकर के मिट्टी भराई व काबिल काश्त बनाया है व वादीगण कि [illegible] आ गया जिसे प्रतिवादीगण के विकसित हिस्से को हड़पना चा[illegible] पर्व [illegible] हुए, कब्जे के आधार पर विभाजन किया जाना आवश्यक व न्यायोचित [illegible] आपसी विभाजन में प्रतिवादीगण पिता गोर्वधन सिंह जी को दिया गया है जिससे पूर्व मे [illegible]भाजन के अनुसार ही विभाजन किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा पूर्व में आपसी विभाजन हो चुका है जिससे वादीगण पांबन्ध है लेकिन राजस्व रेकार्ड सामिल रह जाने से वादीगण ने झूठे तथ्य इस चरण में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested

अंकित किये है, जब विभाजन हो चुका तो किसी प्रकार कि परेशानी होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है नही मिट्स व बाउण्ड के आधार पर अब विभाजन किया जा सकता है। अवशेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। आपसी सहमती से दिनांक 6/03/1984 को साबिक नम्बरो से विभाजन हो चुका है इसी अनुसार वादीगण प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे है तथा विभाजन ईकरार प्रति न्यायालय आप के समक्ष पेश है। कुऐ के भी आपसी दिन पानी निकालने औसरे बांट रखे है मृतक सुख कंवर की पुत्री श्रीमती बेबी कंवर उत्तराधिकारी होकर प्रथम श्रेणी की वारीस है जो इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिनको जानबुझकर के पक्षकार नहीं बनाया गया है जिनके पक्षकार के अभाव में वाद पोषणीय नहीं है। इसी प्रकार भोपाल सिंह जी के प्रतिवादी भगवत सिह, स्वरूप सिंह, बेबी कंवर आवश्यक पक्षकार है जिससे आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद पोषणीय नही है मृतक के विरूद्ध वाद पोषणीय नही है जिससे वाद खारिज होने योग्य है। काउन्टर क्लेम में मे निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण में मध्य वादपत्र की चरण संख्या एक के वर्णित आराजीयात का विभाजन हो चुका है। तथा मौके पर आपसी सहमती से विभाजन होकर अलग—अलग काबिज वादीगण व प्रतिवादीगण पुर्वजो के वक्त हो चुके है तथा विभाजन की यादास्ती ईकरार वाही लिख दिया जिस पर प्रतिवादीगण काबिज चले आ रहे व काश्तलाभ ले रहे तथा प्रतिवादीगण उतरदाता ने काफी धन श्रम व लागत लगा करके चरण संख्या एक के साबिक नम्बरो को काबिल काश्त बनाया है वादीगण प्रतिवादीगण अपने 1/2 व 1/2 हिस्से पर अलग अलग काबिज चले आ रहे व अलग अलग कब्जा था। लेकिन प्रतिवादी उतरदाता को नियत में फितुर आ गया है। जबकि दिनांक 6/03/1984 संवत 2040 में मौतबिरों कि मौजुदजी में भैरू सिंह जी, देवी सिह जी गोर्वधन सिह जी, नारायण सिंह जी ने आपसी सहमती विभाजन ईकरार लिपीबद्ध किया जिसमें प्रतिवादी उत्तरदाता के हिस्से में वाद पत्र कि चरण संख्या एक में वर्णित आराजीयात का बन्दोबश्त के पूर्व के साबिक नम्बर खसरा संख्या 566 रकबा 2 बीघा 11 बस्वा, नामी राडाजी वाली पाटी खसरा संख्या 576 रकबा 12 बस्वा नामी वाडा की मंगरी व खसरा संख्या 570 रकबा 1 बीघा नौ बसवा में से 1/4 हिस्सा जो टुकडा के नाम से जानी जाती है खसरा संख्या 609 रकबा 7 बस्वा कुडी की पाल खसरा संख्या 610 रकबा 4 बिघा 3 बस्वा मंगरी बीड व खसरा संख्या 611 रकबा 1 बीघा 19 बस्वा उंडी का खेत खसरा संख्या 612 रकबा 2 बीघा 8 बस्वा नामी उपरला बन्दा कि खेत व मंगरी व खसरा संख्या 613 रकबा 2 बीघा 2 बस्वा बीड व खसरा संख्या 638 रकबा 26 बीघा 12 बस्वा हाथी का मतारा जिसमें अन्दाज से 10 बीघा, व चरनोट वालोंदो की जिस में से 1/4 हिस्सा बाकी बचा रकबा में 1/3 हिस्सा माधु सिंह जी भैरू सिंह जी नारायण सिंह जी देवी सिंह जी का पुराने बटवारे अनुसार रहेगा खसरा नम्बर 581 में रकबा 4 बस्वा बावडी में व 1/4 हिस्सा पानी में वगेरा में गोर्वधन सिह जी का रहेगा खसरा 584 व 585 के किनारे पाली पर होते हुऐ आगे 571 कि पाली पर आवागमन कर सकेंगे इस प्रकार वादीगण [illegible] वादीगण के पुवजों ने आवागमन के रास्ते सहीत मौके पर विभाजन कर रखा है तथा [illegible] काबिज होकर काश्त लाभ ले रहे है। प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से की जमीन पर मि[illegible]रवाकर काबिल काश्त बनायी है व चारों तरफ बाउन्ड्री बना रखी है एवं काफी खर्चा कर दिया है जिससे वादवर्णित आराजियात का कब्जे के आधार पर विभाजन करना आवश्यक व [illegible]चित है।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुनते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2022 को वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है ग्राम बागड़ पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested

बागड़ तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 737 रकबा 0.44 है0, आराजी संख्या 738 रकबा 0.21 है0, आराजी संख्या 739 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 740 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 741 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 742 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 743 रकबा 0.48 है0, आराजी संख्या 750 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 751 रकबा 0.56 है0, आराजी संख्या 752 रकबा 0.19 है0, आराजी संख्या 753 रकबा 0.12 है0, आराजी संख्या 755 रकबा 0.04 है0 गै.मु.चाह, आराजी संख्या 757 रकबा 0.20 है0, आराजी संख्या 758 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 759 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 760 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 820 रकबा 5.75 है0, आराजी संख्या 834 रकबा 1.34 है0 कुल किता 18 कुल रकबा 10.29 है0 भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 16.05.2022 को प्रकरण में नारायणसिंह बनाम भोपालसिंह राजपूत बागड के खाता संख्या 86 किता 15 रकबा 10.29 है0 का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत् मौका देखा गया जिसमे वादी द्वारा मौके पर बताया कि हमारा हिस्सा कुछ खसरा नम्बर में कम ज्यादा है तथा कुछ खातो में हिस्सा नही होने से पहले इसको सही करवाकर फिर विभाजन करायेंगे अभी विभाजन प्रस्ताव तैयार नही कराना चाहते है।

प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी होने के बाद भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर विभाजन हेतु निरीक्षण करने पर पाया कि वादीगण द्वारा विभाजन कराने से मना किया गया। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद इसी स्तर पर ड्रोप किया जानाा उचित है।

आदेश

अतः प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वादीगण स्वयं विभाजन नही कराना चाहते है जिससे इसी स्तर पर आगामी कार्यवाही ड्रोप करते हुए वाद अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

17/05/2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—37/2020 (2020/00111) वादपत्र

अनवान

1. नारायणसिंह आत्मज केसरसिंह राजपूत निवासी बागड़, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. सुमेरसिंह मुतबन्ना भैरूसिंह राजपूत निवासी बागड़, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. भोपालसिंह मुतबन्ना माधवसिंह राजपूत निवासी बागड़, तहसील रायपुर **मृतक नाम डिलीट**
2. भगवतसिंह आत्मज गोवर्धनसिंह राजपूत निवासी बागड़, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भोपालसिंह आत्मज गोवर्धनसिंह राजपूत निवासी बागड़, तहसील रायपुर मृतक के बजाय
3/1. बेबीकंवर पिता गोर्वधनसिंह राजपूत निवासी बागड़, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. स्वरूपसिंह आत्मज गोवर्धनसिंह राजपूत निवासी बागड़, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वादीगण स्वयं विभाजन नही कराना चाहते है जिससे इसी स्तर पर आगामी कार्यवाही ड्रोप करते हुए वाद अस्वीकार किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 17.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

17/5/22

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:24:43 IST
Reason: SelfAttested